## विचार बिन्दु

**जब कोई व्यक्ति अहिंसा की कसौटी पर पूरा उतर जाता है तो अन्य व्यक्ति स्वयं ही उसके पास आकर बैर-भाव भूल जाता है। –पतंजलि**

# समान नागरिक संहिता भेद करके नहीं लागू हो सकती

समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर उछल कर सामने आया है और इस बार लग रहा है कि इसे लागू करने की भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से एक की प्रत्याशा शायद पूरी हो जाय। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार इसका समर्थन किया है उससे यह और भी स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तत्पर है और उस तरफ आगे बढ रही है। भारत के विधि आयोग द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक नोटिस जारी कर सभी से राय और टिप्पणियां मांगने को नया कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करना ही माना जा सकता है। बहुत से राजनीतिक प्रेक्षक यह भी मानते हैं कि समान नागरिक संहिता पर बहस की शुरुआत करके सत्तारूढ दल एक तरह से अगले चुनावों के लिए एजेंडा तय कर रहा है। विधि आयोग ने पांच साल के अंतराल के बाद अपनी फ़ाइलों में दबा यह मुद्दा फिर उठाया है। बहुत से लोग तो यह भूल भी चुके थे कि 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में इसी मुद्दे पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। विधि आयोग की नई अधिसूचना में कहा गया है कि विषय की प्रासंगिकता और महत्व के साथ-साथ इससे संबंधित अदालती आदेशों को देखते हुए, भारत के 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर फिर से विचार करना आवश्यक समझा है। आयोग ने अपने नोटिस के जरिए जनता के विचारों को आमंत्रित किया है और इस संबंध में धार्मिक संगठनों से भी पक्ष रखने का कहा है। हमेशा यही कहा जाता रहा है कि इस मुद्दे पर आम सहमति के साथ आगे बढना चाहिए तथा इसे सभी दलों, सभी पक्षों, राजनीतिज्ञों, ग़ैर राजनीतिज्ञों और जनता के साथ इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा के बाद ही कोई कदम उठाया जाना चाहिये। इसके लिए सरकार ने चर्चा छेड दी है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विशेषज्ञों की एक समिति ने राज्य में इसे लागू करने के वास्ते मसौदा तैयार कर लिया है।

भले ही भारत में सभी नागरिकों के लिए एक आपराधिक संहिता लागू है, मगर समान नागरिक संहिता हमेशा ही भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। संविधान सभा में भी इस पर गंभीर चर्चा हुई थी जब इसे भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अध्याय चार के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि, "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।" समान नागरिक संहिता का मतलब है प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। अगर ये लागू होता है तो शादी, तलाक़, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी भारतीयों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता को लागू करना 1998 और 2019 के चुनावों के लिए भाजपा के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। नवंबर 2019 में, संसद नारायण लाल पंचारिया ने गैर सरकारी बिल के रूप में इसे संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया। मार्च 2020 में सांसद किरोड़ीलाल मीणा फिर से ऐसा निजी बिल लेकर आए, लेकिन इसे संसद में पेश नहीं किया गया। विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों में समानता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अनेक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। विधि आयोग के 2018 के परामर्श पत्र में भी कहा गया था कि भारत में विभिन्न पारिवारिक कानून व्यवस्थाओं के भीतर कुछ प्रथाएं महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करती हैं और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।तलाक के बाद गुजारे भत्ते को लेकर 1985 में शाह बानो मामले में एक मुस्लिम महिला के अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "संसद को एक सामान्य नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जो राष्ट्रीय सद्भाव और कानून के समक्ष नागरिकों को समानता सुनिश्चित करता है।" एक अन्य मामले में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चों के "प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है", भले ही हिंदू अविवाहित महिलाएं अपने बच्चे की "प्राकृतिक अभिभावक" हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अपेक्षा बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या भी की, और उन महिलाओं को संपत्ति में विरासत का अधिकार और पैतृक संपत्ति में समान सहदायिक अधिकार को मान्यता दी थी जो 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के समय और उसके बाद जीवित थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 में संसद से समान पारिवारिक कानून बनाने पर विचार करने के लिए कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के नागरिक विभिन्न विवाह कानूनों के कारण आ रही बाधाओं के बिना "स्वतंत्र रूप से मिल-जुल सकें"। उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित एक मामले में कहा था कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगी। उत्तराधिकार के मुद्दे को 1985 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर 110वीं रिपोर्ट में भी विधि आयोग ने पारसी सहित विभिन्न धर्मों के बीच उत्तराधिकारियों की परिभाषा में बदलाव और विरासत कानूनों को सुव्यवस्थित करने की सिफारिश की थी। लेकिन कई प्रस्तावित परिवर्तनों को धार्मिक समुदायों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा, और अधिनियम में संशोधन पारित नहीं हो सका। इन कठिनाइयों को समझते हुए 2018 में विधि आयोग ने बीच का रास्ता सुझाया कि समान नागरिक संहिता को देखने के बजाय विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में "जहां भी आवश्यक हो, टुकड़ों-टुकड़ों में बदलाव करके अधिकारों को समेटा जा सकता है"। परंतु वह भी संभव नहीं हुआ। अब, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने परामर्श के लिए जारी नए सिरे से नोटिस के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर बहस और चर्चा कैसे आगे बढ़ती है?

**सभी मानते हैं कि समान नागरिक संहिता आगे बढ़ने वाला प्रगतिशील कदम होगा। व्यक्तिगत कानून काफी हद तक पितृसत्तात्मक और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण होते हैं। समान नागरिक संहिता से महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित होगी। पढे लिखे और समझदार मुसलमानों का भी कहना है कि इससे उनके ईमान पर कोई खतरा नहीं है।**

ब्रिटेन और अधिकांश यूरोप में, जो अब बहु-धार्मिक समाज हैं, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, हिंदू आदि सभी को समान आपराधिक, नागरिक और व्यक्तिगत कानूनों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में स्वाभाविक ही यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के बनने के इतने लंबे समय बाद भी यहां के नागरिक समान नागरिक संहिता अपनाने के प्रति इतने अनिच्छुक क्यों हैं और क्यों नहीं एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा साकार हो पा रही है? सबसे प्रबल विरोध इस तर्क के साथ होता है कि समान नागरिक संहिता लोगों के धर्म में हस्तक्षेप करेगी। यह धार्मिक स्वतंत्रता तथा रस्म-रिवाज़ में दखलअंदाज़ी होगी। मगर दूसरी तरफ यह सवाल भी उठाया जाता है कि क्या रस्म-रिवाज़ नागरिकों को वे अधिकार पाने से महरूम रख सकते हैं जिन्हें संविधान सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करता है? राज्य तथा सभी नागरिकों का रिश्ता एक ही स्तर पर क्यों नहीं होना चाहिये। जब संविधान सबकी समानता की बात करता है तब स्त्री और पुरुष के बीच रस्म रिवाजों जनित असमानता क्योंकर स्वीकार की जानी चाहिये और सबको एक जैसे अधिकार क्यों न मिलने चाहिये, तथा सबके लिए एक जैसे दायित्व क्यों न हों। सभी मानते हैं कि समान नागरिक संहिता आगे बढ़ने वाला प्रगतिशील कदम होगा। व्यक्तिगत कानून काफी हद तक पितृसत्तात्मक और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण होते हैं। समान नागरिक संहिता से महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित होगी। पढ़े-लिखे और समझदार मुसलमानों का भी कहना है कि इससे उनके ईमान पर कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे बढ़ कर यह अधिकार लेना चाहिए और पुरानी मनोदशा से बाहर निकल कर पढ़-लिख कर देश की आर्थिक मुख्य धारा में आना चाहिये।

सभी नागरिकों के बीच एक समान कानून लागू होने से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा और उससे एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना सुनिश्चित होगी जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी निजी आस्था के साथ अन्यों के साथ बराबरी का हक मिलेगा। इसी बीच एक संसदीय स्थायी समिति ने भी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सोमवार को विधि आयोग और विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विमर्श किया है। मगर उसमें दिया गया संसदीय समिति के अध्यक्ष का बयान इस मुद्दे पर नया विवाद खड़ा कर सकता है। संसदीय समिति के अध्यक्ष का पूर्वोत्तर सहित आदिवासियों को किसी भी संभावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखने की वकालत करना सरकार के कदम को धक्का पहुंचाने वाला ही माना जाएगा। उनकी यह टिप्पणी कि आदिवासियों को किसी भी प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि सभी कानूनों में अपवाद होते हैं। यह कहना कि केंद्रीय कानून कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी सहमति के बिना लागू नहीं होते हैं केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगने वाले इस आरोप को आधार देता है कि समान नागरिक संहिता सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर केंद्रित कर रही है। इसलिए यह पूछा जाना समीचीन है कि क्या यही स्टैन्ड केंद्र सरकार लेने वाली है? यदि ऐसा होता है तो समान नागरिक संहिता की अवधारणा ही समाप्त हो जाती है। संहिता यदि सब पर एक समान लागू नहीं की जाती है तो वह सत्तारूढ दल की नीयत में खोट का ही प्रदर्शन होगा और सभी विवेकशील लोगों को आशा है कि ऐसा नहीं होगा।

**–अतिथि संपादक,**
**राजेन्द्र बोड़ा**
**(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)**

# करणी-इन्द्र दरबार में खुले आसमान के नीचे वायु परीक्षण सम्पन्न

**मकराना,** (निसं)। मां कामाख्या ज्योतिष एवं वैदिक शोद्य संस्थान तथा करणी-इन्द्रेश मन्दिर खुड़द मण्ड के संयुक्त तत्वावधान में करणी-इन्द्रेश माता के मन्दिर प्रांगण में विप्र आयोग बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य व खुड़द मण्ड के महन्त भैंरूदान सिंह रत्नू के सानिध्य में आचार्य पण्डित विमल पारीक के मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए करणी-इन्द्रेश माता मन्दिर परिसर में ध्वज पूजन के साथ खुले आसमान के नीचे वायु परीक्षण किया गया।

करणी-इन्द्रेश माता के मन्दिर प्रांगण में विप्र आयोग बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य व खुड़द मण्ड के महन्त भैंरूदान सिंह रत्नू के सानिध्य में वायु परीक्षण किया गया।

- वायु परीक्षण के दौरान वायु के प्रवाह के अनुसार ध्वज के उत्तर-पूर्व ईशान कोण की ओर होने पर अच्छी बारिश का योग बताया

जानकारी के अनुसार कार्यक्रम राजस्थान मे दो जगह पर आयोजित किया जाता है एक तो जयपुर के जन्तर-मन्तर विज्ञान प्रयोगशाला पर और दुसरा नागौर जिले के खुडद मंड ईन्दर बाईसा मंदिर में आयोजित किया गया है। वायु परीक्षण महोत्सव की अध्यक्षता सालासर बालाजी मन्दिर के मुख्य पुजारी डॉ. नरोत्तम दाधीच ने की, जबकि मेडिकल एस्ट्रॉलोजर डॉ. मोनिका आर करल, इन्टरनेशनल डिवाइन स्कूल जयपुर के निदेशक अनुपम जॉली, हिमानी जॉली, गुरूमाता ज्योति पुजारी सालासर, कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष गीता सोलंकी, बोरावड़ सीएचसी प्रभारी डॉ. सुनील विश्रोई, नगरपालिका उपाध्यक्ष बोरावड़ शमीम खत्री, पंचायत समिति सदस्य मकराना व लॉयन्स क्लब मकराना के अध्यक्ष प्रेमप्रकाश मुरावतिया, गच्छीपुरा थानाधिकारी अमरचन्द, सरपंच संघ मकराना के अध्यक्ष रहे विनय नाथावत आदि ने विशेष मेहमान के रूप में शिरकत की। महोत्सव के आयोजक विनय सोनी के अनुसार वायु परीक्षण के दौरान वायु के प्रवाह के अनुसार ध्वज के उत्तर-पूर्व ईशान कोण की ओर होने पर अनुपम जॉली ने अच्छी बारिश का योग व क्षेत्र की जनता के लिए शुभफलदात्री बताया।

महोत्सव के दौरान आयोजक समिति द्वारा मेहमानों को माल्यार्पण व शॉल-साफा आदि के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर मेहमानों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विप्र आयोग बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने वैदिक गणित की परंपरा को सबसे प्राचीन काल गणना बताया इसके माध्यम से की गई फलादेश पूर्ण रूपेण सटीक माना गया है। उन्होंने राजस्थान सरकार की ईडब्ल्यूएस एवं मंदिर की जमीन की भूमि डोली एवं देवस्थान से संबंधित समस्त देवालय मंदिरों का संरक्षण लाभकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। समारोह अध्यक्ष सालासर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी डॉ. नरोत्तम दाधीच ने कहा कि वायु धारी पूर्णिमा को असाडी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशेष संयोग बनता है।

यह परीक्षण प्राचीनकाल से चला आ रहा है मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया गया वायु परीक्षण शत प्रतिशत सही बताया गया है। इस अवसर पर मेडिकल एस्ट्रोलोजर डॉ. मोनिका आर करल ने श्रावण माह में हरी सब्जियों के त्याग के पीछे के वैज्ञानिक कारण बताने के साथ ही घरेलु सुख शान्ति तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न ज्योतिषीय टिप्स बताए। इस अवसर पर गेहडा कला के पूर्व सरपंच महन्द्रदान सिंह रत्नू, सुखदेव सिंह रत्नू, नावां प्रधान पति राजेश गुर्जर, ब्राह्मण समाज बोरावड़ के पूर्व अध्यक्ष अशोक शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास, स्वर्णकार समाज के तहसील उपाध्यक्ष बाबुलाल सहदेव, केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव सुरेश कुमार सोनी, रोटेरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद सैनी, स्थानीय बालचर संघ मकराना के सचिव रामदेव पारीक, बरवाली प्रधानाचार्य गोपाल प्रजापत, बोरावड़ नगरपालिका की पार्षद दिव्या जैन, पार्षद भगवती देवी पारीक, पार्षद प्रिया गेलड़ा, तेरापंथ युवक परिषद बोरावड़ से कैलाश गेलड़ा, जवानाराम किरड़ोलिया, हरकरणराम रलिया, कैलाश व्यास, देवीसिंह राठौड़, किरणसिंह राठौड़, बंशीराम डूकिया, मनीष व्यास, जनकदान, कुशाल करहीर, शिक्षाविद गायत्री पारीक, मोनिका पारीक सहित अनेक लोगों ने वायु परीक्षण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मेहमानों का स्वागत किया। संयोजक विनय सोनी ने सभी का आभार जताया।

# लंपी रोग से मृत गायों की आर्थिक सहायता से वंचित रह गए कई पशुपालक

**पोकरण,** (निसं)। प्रदेश में सरकार और उसके नुमाइंदे गायों में फैले लंपी रोग से मृत गायों के मालिकों को चालीस हजार प्रति गाय का आर्थिक अनुदान दिए जाने के दावे कर रही है। वहीं थार के रेगिस्तान के जैसलमेर जिले में ऐसे कई गांव है, जहां के पशुपालक लंपी रोग से मृत गायों का आर्थिक सहायता के फायदे से वंचित रह गए। विधानसभा क्षेत्र का खेतोलाई, चाचा, ओढानिया, घोलिया ऐसा क्षेत्र है, जो थार के रेगिस्तान में सबसे ज्यादा पशुधन आबादी वाले गांवों में आता है।

खेतोलाई गांव में लंपी रोग के दौरान इस क्षेत्र के गांवों में कोई भी पशु चिकित्सक नहीं था। गायों का उपचार करीब तीस किलोमीटर दूर स्थित भादरिया गांव से पशुचिकित्सक को बुलाकर करवाया जाता था। ऐसे में इस गांव में मरने वाली गायों का रिकॉर्ड पशुपालन विभाग के पास सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया। खेतोलाई के रहने वाले पचास वर्षीय मांगीलाल के वर्तमान में नौ गायें है मेरा मुख्य रोजगार गायों पर ही निर्भर है लंपी बीमारी से मेरे दो गायों की मृत्यु हो गई दोनों गायें दुधारू थी। अब मेरे पहले जितना दूध भी नहीं होता और सरकार की तरफ से भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जिससे मुझे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही ओढानिया पंचायत के 43 वर्षीय शिव प्रताप आज भी अपने हाथों में कागजों की फाइल लिए पशुपालन विभाग के चक्कर लगा रहे है। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अपने रफी में मर चुकी गायों का मुआवजा मिलने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। वे कहते है कि लंपी के दौरान मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था तो मेरे जिन गायों की मृत्यु हुई है। उनका रिकॉर्ड भादरिया गांव

- जैसलमेर जिले में कई गांवों के पशुपालक जो कि अब भी विभाग के चक्कर लगा रहे है

से आए पशुचिकित्सक नरेंद्र सिंह के पास था, अब उनका भादरिया से तबादला हो चुका है, तो मेरी परेशानी बढ़ गई है।

लंपी के दौरान इस क्षेत्र में हुई गायों की मृत्यु के आंकडे गांव में सफाई करने वाले राजू व उनके सहयोगियों ने गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय को सौंपे। राजू ने लंपी के दौरान मरने वाली गायों को हर रोज उठाकर गांव से बाहर ओरण की जमीन पर गड्ढे खोदकर डाला था। जिस कारण उसके पास मरने वाली गायों का रिकॉर्ड रहता था। जिसे वो ग्राम पंचायत कार्यालय को रिपोर्ट करवाता था। राजू ने बताया कि उस दौरान खेतोलाई गांव की 550 गायों को दफनाया था। गांव में हर घर से 2-3 गायों की मृत्यु हुई है। जानकारी के अनुसार खेतोलाई गांव में साल 2019 में हुई पशुगणना के अनुसार दस हजार गाये थी। खेतोलाई में ही रहने वाले एक किसान बगडूराम से पूछा कि आप कैसे सत्यापित कर पाओगे कि आपके गायों की वीपी में मृत्यु हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा रिकॉर्ड तो सफाई करने वाला राजू ही बता सकता है क्योंकि उसी ने इस गांव में मरने वाली गायों को घर-घर से ले जाकर दफनाया था। इस पूरे मामले पर खेतोलाई में नियुक्त पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार का कहना है कि मेरी लंपी बीमारी के समय इस क्षेत्र में नियुक्ति नहीं हुई थी तो मैं नहीं बता सकता कि इस गांव में उस समय कितनी गायों की मृत्यु हुई थी। गांव वाले मेरे पास मुआवजे के लिए सत्यापन करवाने के लिए आए थे। लेकिन जब मैं यहां था ही नहीं तो सत्यापन कैसे कर सकता हूं। मैंने गांव वालों से सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से सत्यापन करवाने का कहा था। लेकिन गांव वालों का कहना था कि ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच सत्यापित करने से मना कर रहे है।

सरपंच प्रतिनिधि रामरतन बिश्नोई कहना है कि इस मामले में सत्यापित करने का मुझे अधिकार नहीं है, लंपी के दौरान गुलाब सिंह ग्राम विकास अधिकारी थे अब उनका ट्रांसफर हो गई है वो अब मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र का सबसे अधिक गो पशुधन आबादी क्षेत्र के निवासियों को लंपी में मृत गायों का मुआवजा मिलने की अभी भी उम्मीद बरकरार है।

# सुंदरता व सुरक्षा के लिए लगी जालियां तोड़ डालीं

**भीलवाड़ा,** (निसं)। नगर विकास न्यास के आला अधिकारी जहां शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वहीं सुखाड़िया सर्कल से अजमेर जाने वाले अति व्यस्त शहर के हाईवे मार्ग पर लगी सीमेंटेड जालियों के साथ लगी लोहे की मजबूत जालियों को भी किन्हीं स्वार्थी तत्वों ने तोड़ दिया।

आश्चर्य का विषय तो यह है कि अजमेर चौराहे से लेकर भीलवाड़ा डेयरी तक रोजाना कई महत्वपूर्ण लोग इस रास्ते से गुजरते हैं मगर अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया, जिसके कारण कुछ लोहे की जालियां तो लोग उठा कर भी ले गए।

मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन न्यास अध्यक्ष एल एन डाड के कार्यकाल में सुखाडिया सर्कल से लेकर आरजिया चौराहे तक के मार्ग को गौरव पथ का नाम देकर इसका विकास किया गया था। शहर की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए भदाली खेड़ा तक हाईवे मार्ग को दो भागों में बांट कर डिवाइडर तैयार किए गए और डिवाइडर के मध्य ऊंट घोड़ा, हाथी जैसे जानवरों की आकृति में हरियाली को डेवलप किया गया।

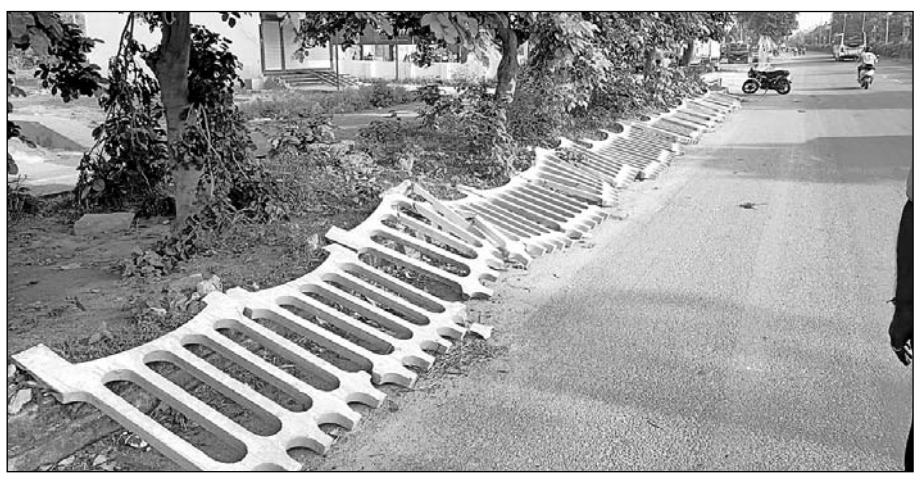

भीलवाड़ा में शहर के हाईवे मार्ग पर लगी सीमेंटेड जालियों को भी किन्हीं स्वार्थी तत्वों ने तोड़ दिया।

वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से निवर्तमान अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने सड़क के दोनों किनारों पर लाखों रुपए खर्च करके डिजाइन दार सीमेंटेड जालियां लगवाई थीं ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन चलाने वाले नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्विस सड़क का निर्माण भी किया गया, परंतु विगत चार दिन पूर्व किन्ही स्वार्थी तत्वों ने तीन सौ फिट लंबाई तक की सीमेंटेड जालियों को ध्वस्त कर दिया और सर्विस सड़क लाइन पर लगी लोहे की जालियों को भी उखाड़ कर ले गए। अभी तक नगर विकास न्यास के किसी बड़े आला अधिकारी की नजर का नहीं पड़ना घोर लापरवाही का बड़ा नमूना नजर आ रहा है।

- सर्विस सड़क लाइन पर लगी लोहे की जालियों को लोग उखाड़ कर भी ले गए
- सुखाड़िया सर्कल से अजमेर जाने वाले शहर के हाईवे मार्ग पर लगी हैं सीमेंटेड जालियां

## राशिफल बुधवार 5 जुलाई, 2023

पंडित अनिल शर्मा

प्रथम सावन (शुद्ध), कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2080, श्रवण नक्षत्र रात्रि 2:56 तक, वैद्यृति योग प्रातः 7:47 तक, गर करण दिन 10:03 तक, चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थितिः** सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मकर, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज राजयोग रात्रि 2:56 से सूर्योदय तक है। भद्रा रात्रि 8:17 से गुरूवार प्रातः 6:31 तक है। आज वैधृति पुण्य, गुरू हरगोविन्द सिंह जयन्ती है।

**सर्वश्रेष्ठ चौघड़ियाः** लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:07 तक, शुभ 10:44 से 12:31 तक, चर 3:56 से 5:38 तक, लाभ 5:38 से सूर्यास्त तक।

**राहूकालः** 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:42, सूर्यास्त 7:21

**मेष**
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

**सिंह**
अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

**धनु**
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

**वृष**
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

**कन्या**
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

**मकर**
परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

**मिथुन**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संभावित प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

**तुला**
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कुंभ**
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

**कर्क**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

**वृश्चिक**
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले सुसंदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बढ़ेगा। प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

**मीन**
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।